

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 27/12/22

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर के समक्ष राजस्थान राज्य की ओर से सिविल प्रकरणों को प्रस्तुत करने एवं पैरवी करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता का 01 नवीन पद (वर्तमान में सृजित 09 अतिरिक्त महाधिवक्ता के पदों के अतिरिक्त) सृजित किया जाता है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या-102206977 दिनांक 27.12.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की गयी है।


आज्ञा से,



शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
5. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर।
6. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच।
7. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 102206977 दिनांक 27.12.22 के क्रम में सूचनार्थ।
8. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल/प्रशासक वादकरण, जयपुर।
9. समस्त अति. महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
14. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
16. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
17. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग।
19. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
20. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव, विधि